रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711] नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2008/ज्येष्ठ 5, 1930
No. 711] NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2008/JYAISTHA 5, 1930

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2008

का.आ. 1214(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार का.आ. 655(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना में आगे और संशोधन करती है, नामत: :—

2. उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, उप-पैराग्राफ (ix) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: : —

"बशर्ते कि बोवाइन (भैंस सहित) अथवा अश्व पशुओं, भेड़ अथवा मेमने की कच्ची खाल और त्वचा, अन्य कच्ची त्वचाएं (बकरियों, सूअर की त्वचा), ताजी अथवा नमक लगी, सूखी, चूना लगी, अम्लीय अथवा अन्यथा संरक्षित, परन्तु सिझाए न गए, चर्मपत्र बनाए गए अथवा और आगे तैयार किए गए, बालों को हटाए अथवा बिना हटाए अथवा ऊन के साथ अलग किए गए अथवा अलग किए गए को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता स्थित पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी से अथवा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य पशुचिकित्सा अधिकारी से सामान की जांच के बाद प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर 30 जून, 2008 तक भारत में आयात किया जा सकता है ।"

[फा. सं. 110-3/2008-ट्रेड]

अरविंद कौशल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना का.आ. 655(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2001 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी तथा उसमें बाद में का.आ. 794 (अ) दिनांक 28 मार्च, 2008 के तहत संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2008

S.O. 1214(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Live-stock Importation Act, 1898 (9 of 1898), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 655(E) dated the 7th July, 2001, namely:—

2. In the said notification, in the opening paragraph, after sub-paragraph (ix), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, sheep or lamb, other raw skins (skins of goats, swine), fresh or salted dried, limed, pickled or otherwise preserved but not tanned, parchment dressed or further prepared, whether or not de-haired or split with wool on or split may be imported into India up to 30th June, 2008 against the production of no objection certificate from the officer-in-charge of the Animal Quarantine and Certification Services Stations located at Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata or any other veterinary officer duly authorized by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries after inspection of the goods."

[F. No. 110-3/2008-Trade]

ARVIND KAUSHAL, Jt. Secy.

Foot note :—The prinicipal notification *vide* S.O. 655 (E), dated the 7th July, 2001, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and subsequently amended by notification *vide* S.O. 794(E), dated the 28th March, 2008.

1989 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.